उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1348/ग्यारह-2-23-9(47)/17-टी.सी.239-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(296)-2023

लखनऊः दिनांकः 13 अक्टूबर, 2023

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या- क0नि0- 2- 1789/ ग्यारह- 9(42)/17 - उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(82)-2017 दिनांक 24.11.2017, में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, 1 अक्टूबर 2023 से प्रभावी, शब्द और अंक "रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण ", के पूर्व शब्द और अंक "उक्त अधिनियम की धारा 2 के खंड (102 क) में यथा परिभाषित विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावों की पूर्ति करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न," बढ़ा दिये जायेंगे ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी ।

आज्ञा से,

13/x/23

(नितिन रमेश गोकर्ण)

अपर मुख्य सचिव